

अनुसूची 21-पगरम सं०-113

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या शिवराम के अर्ज संख्या 11 & अर्ज संख्या 18 20  
 आवेदन सं० 8406 20  
 चौकी भी Anita Devi

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निर्माकित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का सावधान प्रमाण-पत्र दिया जाये।  
 (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में वही में  
 और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 2004 से ता० 20/1/14  
 तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला  
 यथा है अतः शिवराम प्रसाद

क्र०सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मण्डल - Ranipur P.S. 35 खोता सं 231, 288, 283, प्लॉट नं 1120, 1121, 1122							

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
2. बंधक-पत्र की दिशा व्याज की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बरतों को उनके बारे में उल्लेख करें।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।  
यदि यह प्रमाणित करता है कि उपरोक्त संव्यवहारों और अवमारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किन्हीं अन्य संव्यवहार और अवमार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर): *M. K. Singh*  
(पदनाम):

तलासी का संस्थापन और प्रमाण की जाँच निम्न व्यक्ति ने की :

(हस्ताक्षर): *Asif*  
(पदनाम):  
कार्यालय: *paths*  
तारीख:



मुख्य एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

01.10.18

टिप्पणी :- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवमार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो ऐसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति (बाह्य) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रवृत्तियों देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवमारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वहियाँ और अनुक्रमणियों उनके पास सामने रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिए कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद दूँडे गये संव्यवहारों और अवमारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा दूँडे गये ऐसे संव्यवहारों और अवमारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, अवर निबंधक 8595

दिनांक 01.10.18

ज्ञाप संख्या \_\_\_\_\_  
आवेदक श्री Anita Devi

का रूपमार प्रमाण-पत्र द्वारा manager S.B.S A.G. colony paths.

का उनके पत्र संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक 18/9/19 के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

*M. K. Singh*  
मुख्य एवं निबंधन पदाधिकारी  
01.10.18